

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

क्रमांक:-एफ-1 ()स्थापना/2019/2616

दिनांक:- 11.10.2019

-:आदेश:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य की अनुपालना में प्रशासनिक सुधार (अनु-03) जयपुर के पत्रांक प.1(6)प्र.सु. अनु-3/2017 दिनांक 27.9.2019 के द्वारा आवंटित किये जाने पर निम्न अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के शिडयूल IV के तहत लेवल-5 में 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र. स.	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	नियुक्ति/पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	श्री दिनेश कुमार / श्री चैन सिंह	11.7.1990	SC	5988	727043	तहसील शाहबाद
2	श्री राधेश्याम / श्री बंशीलाल	28.9.1992	SC	5997	711670	तहसील बारां
3	श्री ईश्वर मीणा / श्री प्रसाद मीणा	9.6.1994	ST	6004	718033	तहसील छीपाबडौद

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। कार्मिक को हडताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिन में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्य संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबीसी,एसबीसी/जा.प्र.प./ सामान्यअवि /2015/ 54159/दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/ 68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा



